कार्यालय मुख्य अभियन्ता
बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बरेली

पत्रांकः– 5754 / 11सी(1)–उ0प्र0क्षेत्र / 17 दिनांक– 16 / 09 / 17

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
बदायूँ–पीलीभीत वृत्त, लो0नि0वि0,
बरेली

विषयः– जनपद बदायूँ में बदायूँ कादरचौक गंगपुर मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी0 1 के चैनेज 0.765 के बायीं ओर ग्राम शेखूपुर, तहसील व जिला बदायूँ में स्थित गाटा सं0–282 पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 के किसान सेवा केन्द्र, रिटेल आउटलेट / पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक 5509 / 46एम(11)–08 / 17, दिनांक 04.09.17

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में जनपद बदायूँ में बदायूँ कादरचौक गंगपुर मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी0 1 के चैनेज 0.765 के बायीं ओर ग्राम शेखूपुर, तहसील व जिला बदायूँ में स्थित गाटा सं0–282 पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 के किसान सेवा केन्द्र, रिटेल आउटलेट / पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबंधों / शर्तों के अधीन की जाती है:–

1. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 18.30 मीटर की दूरी पर अस्थायी निर्माण हेतु एवं मार्ग के मध्यबिन्दु से दोनों तरफ 220.00 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाये अन्यथा मानचित्र पर की गयी संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी मुख्य अभियन्ता(मु0–2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग लो0नि0वि0, लखनऊ के समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. मानचित्र में अंकित नापों एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाये।
3. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने–जाने के लिए पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण प्रस्तावक को अपने खर्चे पर करना होगा, जिसकी अनुमति अलग से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ से प्राप्त करनी होगी।
4. भूस्वामित्व में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. फिलिंग स्टेशन की स्थापना के फलस्वरूप जनसुरक्षा एवं यातायात को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए अन्यथा मानचित्र में की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. प्रश्नगत मार्ग के स्टेटस में परिवर्तन के फलस्वरूप जनसुविधाओं की वृद्धि हेतु लोक निर्माण विभाग को यदि भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी, उस स्थिति में आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।
8. लो0नि0वि0, बाउण्ड्री एवं नाली के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस आशय की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।
9. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो तरफ 220 फिट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न कराया जाये।

(ए0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नः–मानचित्र 3 प्रति में।
प्रतिलिपि अवर अभियन्ता(प्रा0) को।
संलग्नः–मानचित्र 1 प्रति में।

मुख्य अभियन्ता
बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली

14-12-17
राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन०एच० 24 गेरट पाकबाड़ा, मुरादाबाद

G2-F.S. 15-16